डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 24 ● भोपाल ● 16-31 मई, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

मतगणना की तैयारियों में सतर्कता बरतें अधिकारी

सीईओ एवं उप निर्वाचन आयुक्त ने की मतगणना की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) श्री व्ही. एल.कान्ता राव ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोकसभा चुनाव 2019 में मतगणना की तैयारियों में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये है। श्री राव यहां भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन के साथ प्रदेश के उन जिलों में चल रही मतगणना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे, जहाँ लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण सम्पन्न हो चुका है। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव भी मौजूद थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राव ने मतगणना की तैयारियों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्हीव्हीपेट मशीनों की पर्चियों की गणना के लिए गणना कर्मियों का अलग दल बनायें तथा उनके लिये अलग से प्रशिक्षण आयोजित करें। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक–एक आदर्श मतगणना कक्ष बनायें। जहाँ न केवल गणना कर्मी बल्कि उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्त्ता भी मतगणना के व्यवहारिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

श्री कान्ता राव ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में व्हीव्हीपेट मशीनों की पर्चियों की गणना के लिए अलग से एक टेबल निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक व्हीव्हीपेट मशीनों की पर्चियों की गणना रिटर्निंग अधिकारी और आयोग के प्रेक्षक की देखरेख में ही करायें। मतगणना स्थल तक स्ट्राँग रूम की सुरक्षा के बारे में भी सतर्कता बरतें। स्ट्राँग रूम के प्रोटोकाल का हर हाल में पालन सुनिश्चित करें।

सीईओ श्री राव ने प्रारंभिक चरण में निष्पक्ष, निर्विघ्न और स्वतंत्र मतदान सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर्स को धन्यवाद दिया और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये किये गये प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मतगणना की तैयारियों के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क में रहने की सलाह दी, जिससे किसी भी तरह की कठिनाई आने पर उसका त्वरित निराकरण किया जा सके। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन ने मतगणना की तैयारियों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मतों की गिनती प्रारंभ की जा सकेगी। उप निर्वाचन आयुक्त ने व्हीव्हीपेट मशीनों की पर्चियों की गणना में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने व्हीव्हीपेट की पर्चियों की गणना के लिए नियुक्त किये जाने वाले अमले को अलग से प्रशिक्षण दिये जाने के साथ–साथ गणना की मॉकड्रिल की आवश्यकता भी बताई। श्री जैन ने बैठक में स्ट्राँग रूम की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रतिदिन स्ट्राँग रूम का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने स्ट्राँग रूम की निगरानी के लिए लगाये गये सीसीटीव्ही कैमरों की रिकॉर्डिंग की समुचित व्यवस्था पर भी जोर दिया।

सहकारिता के विकास में सहकारी लेखन की सकारात्मक भूमिका : श्री रंजन

जबलपुर। सहकारिता के विकास में सहकारी लेखन की सकारात्मक भूमिका है। सहकारी साहित्य सहकारी भावना के साथ आगे बढ़ने के लिये प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। इस सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक की पुस्तक सहकारी विचार दर्शन भी इसका अनुपम उदाहरण है। ये विचार म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतु राज रंजन ने जबलपुर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में व्यक्त किये। यहॉ प्राचार्य यशोवर्धन पाठक ने अपनी दोनों पुस्तकें सहकारिता विचार दर्शन और आईने का सच श्री रंजन को सादर भेंट की जिसे उन्होने सहकारी क्षेत्र के लिये लोकार्पित की।

इस दौरान उन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के विधि प्रकरण और भवन निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन व निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश प्रदान किये।

इस अवसर पर प्रबंध संचालक का स्वागत प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार श्री चेतन गुप्ता एवं लिपिक श्री एन.पी. दुबे, श्री पीयूष राय, श्री शोभित ब्यौहार ने किया। अन्त में आभार प्रदर्शन केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक द्वारा किया गया।

नयागांव की शतायु पार प्रदेश की पहली महिला सरपंच और दम्पत्ति ने भी डाला वोट

भोपाल। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत नयागाँव के मतदान केन्द्र पर प्रदेश की पहली महिला सरपंच श्रीमती बेनीबाई अनुरागी ने 106 वर्ष और नाथूराम मिश्रा ने 102 साल की उम्र में पत्नी गौरीबाई के साथ वोट डाला। तीनों वयोवृद्ध मतदाताओं का 40 मीटर की लम्बाई में गुलाब के फूल बिछाकर बनाये गये पावड़े से स्वागत हुआ।

ग्राम बगौता में 100 वर्षीय गिरिजादेवी ने किया मतदान

छतरपुर के ग्राम बगौता में 100 साल की वृद्धा गिरिजा देवी रिछारिया अपनी बहू राजकुमारी के साथ ऑटो से वोट डालने पहुँची। बहू ने बताया कि सासू–माँ वर्ष 1962 से हर चुनाव में मतदान करती आयी हैं। घर पर किसी के न होने से सुबह से ही ऑटो में आने की जिद कर रही थीं। यहाँ 88 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता नथुआ अहिरवार भी 3 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने आये। वे 30 साल से लगातार वोट डाल रहे हैं। जरूरी दस्तावेज घर पर भूल जाने पर उन्होंने दोबारा मतदान केन्द्र आकर वोट डाला।

छतरपुर में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा गया। ग्राम बगौता में कु. सृष्टि तिवारी और जलज ओमर ने पहली बार माँ के साथ मतदान किया। कलेक्टर श्री मोहित बुंदस ने भी अपनी माताजी के साथ लाइन में लगकर मतदान किया।

सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा प्रक्रिया

सहकारी अंकेक्षण का उद्देश्य न सिर्फ लेखाबहियों की सत्यता एवं उचितता का पता लगाना है, बल्कि इसमें समस्त प्रशासकीय कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल है, इसीलिए सहकारी अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण मात्र न होकर प्रशासनिक अंकेक्षण भी है।

सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा संचालन की विस्तृत प्रक्रिया पत्रांक अंके./2/557 भोपाल, दिनांक 7.8.13 एवं 571,दिनांक 16.8.2013 से जारी की गई है तथा विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। निदिष्ट प्रक्रिया में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुये पांच प्रारुप भी संलग्न किये गये है जिसमें संचालक मण्डल के ठहराव, आमसभा का ठहराव सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की स्वीकृति/ सहमति पत्र का प्रारुप संस्थाओं द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति के लिये आदेश पत्र का प्रारुप तथा विभागीय संपरीक्षकों की नियुक्ति का आदेश का प्रारुप सम्मिलित है।

संचालक मण्डल का ठहराव

संस्थाओं द्वारा प्रथमतः अपने संचालक मण्डल में इस विकल्प का चयन करना है कि वह विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म से अंकेक्षण कराना चाहती है। सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म के लिये न्यूनतम तीन नाम का चयन किया जाना आवश्यक है। सनदी लेखापाल /सनदी लेखापाल फर्म के नामों के चयन के लिये वरिष्टता का क्रम प्रक्रिया की कंडिका 17 में उल्लेखित है। चयनित नामों से निर्धारित प्रारूप के घोषणा/वचन पत्र आमसभा के पूर्व प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।

वार्षिक आमसभा का आयोजन

संस्थाओं को सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानुसार प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक आयोजित की जाने वाली वार्षिक आमसभा में अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। परिसमापनाधीन संस्थाओं की आमसभा बुलाया जाना आवश्यक नहीं है परिसमापक अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

आमसभा में प्रस्ताव की प्रस्तुति

प्रत्येक स्थिति में संचालक मण्डल द्वारा भले ही किसी भी विकल्प का चयन किया गया हो आमसभा के समक्ष विभागीय संपरीक्षक तथा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म का प्रस्ताव रखा जाना अनिवार्य किया गया है। संचालक मण्डल केवल अपनी संस्तुति कर सकता है अंतिम निर्णय का अधिकारी आमसभा में निहित है।

आमसभा का ठहराव एवं अंकेक्षण आवंटन आदेश जारी करना

आमसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर यदि सनदी लेखापाल द्वारा अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया जाता है तो संस्था के प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप में आवंटन आदेश जारी किया जावेगा और यदि विभागीय संपरीक्षक से अंकेक्षण कराने का निर्णय पारित किया जाता है तो सक्षम जिला/संयुक्त/मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवंटन आदेश जारी किया जावेगा। विभागीय संपरीक्षक के चयन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों का पालन किया जाना भी आवश्यक है।

सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण

सहकारी संस्थाओं का तीन श्रेणीयों में वर्गीकरण किया गया है तथा संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म का भी तीन श्रेणीयों में वर्गीकरण किया गया है। उच्च श्रेणी में वर्गीकृत संपरीक्षक अपने से निम्न श्रेणी की वर्गीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण कर सकते है किन्तु निम्न श्रेणी में वर्गीकृत संपरीक्षक को अपने से उपर की श्रेणी की संस्थाओं का अंकेक्षण आवंटन नहीं किया जावेगा। संस्थाओं का वर्गीकरण उनके कारोबार (Business) के आधार पर किया गया है। सहकारी संस्थाओं के लिये जिस आधार पर संपरीक्षा शुल्क का प्रभारण किया जाता है वही उस संस्था के लिये उसका वर्गीकरण हेतु आधार (कारोबार) होगा।

अन्य बातें जो ध्यान में रखना है:

- किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को किसी सोसाइटी का लगातार 2 वर्षों से अधिक कालावधि के लिये संपरीक्षा हेतु नियुक्त नहीं किया जावेगा तथा सतत अंकेक्षण एवं वैधानिक अंकेक्षण एक साथ आवंटित नहीं किये जावेंगे।
- संपरीक्षक को वित्तीय पत्रक प्रस्तुति की समयावधि तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने की समयावधि का निर्धारण भी किया गया है।
- संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षा प्रतिवेदन का रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जावेगा तथा यदि वित्तीय पत्रकों में सुधार किये जाने की आवश्यकता होती है तो रजिस्ट्रार के ऐसे निर्देश पर संशोधित प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म के द्वारा की गई संपरीक्षा के संस्थागत मूल्यांकन का प्रारूप भी जारी किया गया है प्रत्येक संस्था को निर्धारित प्रारूप में संपरीक्षक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता के संबंध में अपना अभिमत दिया जाना अनिवार्य है।
- म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्र. 50 (15) के पालन में राजभाषा हिन्दी में संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शीर्ष सहकारी संस्थाओं जिनका टर्न ओवर 100 करोड़ से अधिक है के संपरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर भी रखा जाना अनिवार्य किया गया है।
- सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु पंजीयक के स्थान पर संस्था का दायित्व निर्धारित किया गया है। पूर्व में अंकेक्षण आवंटन आदेश पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किये जाते थे वर्तमान प्रावधान में संस्थाओं को अंकेक्षक के चयन/नियुक्ति का अधिकार दिया गया हैं।
- परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकतः या संयुक्तः 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगीः
- अंकेक्षण आवंटन आदेश संस्थाओं द्वारा ही जारी किये जाने है। यदि संस्था की वार्षिक साधारण सभा द्वारा पंजीयक कार्यालय के विभागीय अंकेक्षक से अंकेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विभागीय अंकेक्षक को कार्यालय द्वारा अधिकृत किया जावेगा।
- अंकेक्षकों की योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के दिया गया है, जिसके पालन में रजिस्ट्रार द्वारा संस्थाओं एवं अंकेक्षकों का उनके कारोबार के आधार पर पृथक–पृथक तीन श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी 'क' में समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 5 करोड़ से अधिक कुल ऋण अग्रिम से शेष वाले नागरिक सहकारी बैंक एवं 100 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली संस्थाएं सम्मिलित की गई हैं।
- द्वितीय श्रेणी 'ख' में 1 करोड तथा 5 करोड़ से अधिक तक के ऋण अग्रिम शेष वाले नागरिक सहकारी बैंक एवं 10 करोड़ से 100 करोड़ तक अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं।
- अंतिम श्रेणी 'ग' में 10 करोड़ तक का करोबार करने वाली संस्थायें सम्मिलित है।
- संस्थाओं के कारोबार के अनुपात में सनदी लेखापाल फर्म एवं विभागीय अंकेक्षकों की योग्यता व अनुभव का निर्धारण किया जाकर तीन श्रेणीयों में विभाजित किया गया है।
- नवीन प्रावधानों के पालन में संस्थाओं को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का संपरीक्षा प्रतिवेदन 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया हैं।
- धारा 56 के प्रावधान के तहत प्रति वर्ष अंकेक्षित वित्तीय पत्रक विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं तथा नियम 50–क के तहत नियत शुल्क भी इस हेतु चालान द्वारा जमा करना आवश्यक है।

म.प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 की धारा – 58 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं के संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा द्वारा पारित संकल्प हेतु प्रयोक्तव्य

(प्रारूप – 01)

विषय क्रमांक ..... :– संस्था की वर्ष ..... के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक।

विषय टीप :– म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) के प्रावधान अनुसार संस्था द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म से लेखाओं की संपरीक्षा करायी जानी है। संस्था 31.3..... पर समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय पत्रक अनुसार संस्था कारबार के आधार पर ..... श्रेणी में वर्गीकृत है। अतः ..... श्रेणी के संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति संपरीक्षा हेतु की जानी है। रजिस्ट्रार द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक ..... से जारी संपरीक्षक/ संपरीक्षक फर्म की पेनल तथा अंकेक्षण प्रक्रिया हेतु जारी परिपत्र क्रमांक/अंके./2/557, दि. 07.08.2013 का संज्ञान लिया जाकर संचालक मण्डल की बैठक दिनांक ..... में पारित संकल्प क्रमांक ..... अनुसार विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल /सनदी लेखापाल फर्म में से विकल्प का चयन किया जाकर ..... से संपरीक्षा कराने की संस्तुति की जाती है।

(संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प में विकल्प के चयन के आधार के पक्ष में अपनी स्पष्ट अभियुक्ति की टीप भी दी जावे)

पारित संकल्प–संस्था वर्ष ..... के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा विभागीय संपरीक्षक से कराना चाहती है।

अथवा

.....सनदी लेखापाल / सनदी लेखापाल फर्म (फर्म का नाम, पता एवं एफ.आर.एन नम्बर अनिवार्यतः अकित किया जावे)से कराना चाही है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन-प्रावधान एवं प्रक्रिया

सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन कोई भी संशोधन तब तक प्रभावशील नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका पंजीयन एवं इस उद्देश्य हेतु रखी गई पुस्तक में उसे दर्ज न कर दिया जावें अन्यथा पंजीकरण के पूर्व संशोधन को प्रभावशील करना अवैधानिक होगा।

संशोधन से आशय

उपविधियों में संशोधन से तात्पर्य सहकारी समिति की वर्तमान उपविधियों में कोई नया प्रावधान जोड़ना,विद्यमान प्रावधान को हटाना एवं किसी प्रावधान को हटाकर उसके स्थान पर नये प्रावधान को जोड़ने से है।

संबंधित धारायें एवं नियम

संशोधन संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 11 एवं 12 और नियम 7 में किये गये हैं।

संशोधन की प्रभावशीलता

कोई भी संशोधन तब तक प्रभावशील नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका पंजीयन एवं इस उद्देश्य हेतु रखी गई पुस्तक में उसे दर्ज न कर दिया जावें अन्यथा पंजीकरण के पूर्व संशोधन को प्रभावशील करना अवैधानिक होगा।

संशोधन के प्रकार

अधिनियम के अन्तर्गत उपविधियों में दो प्रकार से संशोधन करने के प्रावधान है :–

1) स्वेच्छिक संशोधन
(धारा –11)
2) अनिवार्य संशोधन
(धारा –12)

स्वेच्छिक संशोधन सम्बन्धी प्रावधान

11(1) किसी सोसायटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन जब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिए उस प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियॉ निहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी।

11(2) यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसायटी के लक्ष्यों से तथा उद्देश्यों या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा।

11(3) रजिस्टर उपविधियों के संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इन्कार, आवेदक सोसायटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं करेगा। यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इन्कार करने का निश्चय करता है तो वह इन्कार सम्बन्धी आदेश उस इन्कार के कारणों सहित सोसायटी को सूचित करेगा ।

11(3) के परन्तुक के अनुसार यदि पंजीयक उपरोक्तानुसार पैंतालिस दिन की निर्धारित कालावधि के भीतर संशोधन सम्बन्धी आवेदन का निपटाना नहीं कर पाता है तो ऐसी कालावधि समाप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर वह उस आवेदन को अपने से अगले उच्च अधिकारी को अपनी टिप्पणी के साथ भेज देगा । उसका वैधानिक कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर एसका निपटारा कर दें और यदि वह असफल हो जाता है तो उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत मान लिया जावेगा।

स्वेच्छिक संशोधन की प्रक्रिया

1. ऐसा संशोधन, सोसायटी की साधारण सभा (वार्षिक या विशेष साधारण सभा) में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जावेगा।
2. ऐसा प्रस्ताव वैध नहीं होगा, यदि प्रस्तावित संशोधन का नोटिस, सोसायटी के सदस्यों को, उसकी उपविधियों के अनुसार न दें दिया गया हों।
3. जबकि सोसायटी अपनी उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करती है तो आवेदन पत्र निम्नलिखित के साथ पंजीयक को भेजेंगी :–

1. (प्रारूप, (ब) में प्रमाण पत्र
इसमें निम्नलिखित बातें प्रमाणित की जाती है :
1. सूचना का दिनांक और बुलाई गई साधारण सभा जिसमें संशोधन स्वीकृत किया गया है, के दिनांक के बीच की अवधि संस्था की उपविधियों के अधीन अपेक्षित अवधि से कम नहीं है।
2. संस्था की उपविधियों के अधीन अपेक्षित रीति से सभी सदस्यों को सूचना दी गई है।
3. सूचना अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई है,
4. सूचना में सभा की तारीख, समय तिथि, स्थान एवं प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख किया गया था और
5. सूचना तथा कार्यसूची की मूल प्रति संस्था के अभिलेख में रखी गई हैं।

2. प्रारूप ''सी'' में सूचना की चार प्रतियॉ :
इसमें निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचनायें दी जाती है :
1. साधारण सभा को सूचना जारी करने के दिनांक को कुल सदस्य संख्या ,
2. सूचना जारी करने का दिनांक
3. संस्था की उपविधियों के अन्तर्गत सूचना की अवधि
4. साधारण सभा का दिनांक जिसमें संशोधन किया गया है,
5. साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या
6. गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या

उपरोक्त के अतिरिक्त कालमवार निम्नलिखित सूचनायें भी दी जाती है :–

1. उपविधि क्रमांक मूल – संशोधित,
2. प्रस्ताव क्रमांक व दिनांक जिसमें संशोधन स्वीकार किया गया ।
3. प्रस्ताव अनुमोदक का नाम,
4. सभा में उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई संख्या,
5. संशोधन के पक्ष में मत देने वाले सदस्यों की संख्या

3. प्रारूप ''डी'' में प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियॉ

इसमें निम्नलिखित के सम्बन्ध में कालमवार जानकारी दी जाती है:
1. उपविधि क्रमांक
2. वर्तमान उपविधि की शब्दावली
3. संशोधित उपविधियों की शब्दावली
4. संशोधन के कारण
5. संशोधन सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धित सक्षम पंजीयक को उस साधारण सभा, जिसमें ऐसा संशोधन स्वीकार किया है, के दिनांक से एक मास के भीतर दिया जाएगा।

पंजीयन निम्न के संबंध में समाधान हो जाने पर ही प्रस्तावित उपविधियों के संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर सकता है :
1. यह कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिकूल नहीं है।
2. यह कि सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है।

संशोधन का रजिस्टार करने से इन्कार के पूर्व सुनवाई का अवसर तथा कारण सहित आदेश

यदि पंजीयक या इस अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी उपविधियों का प्रस्तावित संशोधन रजिस्टर करने से इंकार करने का विचार रखता है, तो ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व सोसायटी को सुनवाई का अवसर दिया जावेगा। यदि पंजीयक बिना सुनवाई किये प्रस्तावित संशोधन को पंजीकृत करने से इन्कार कर देता है तो ऐसी अस्वीकृत अवैधानिक होगी। इसके साथ ही यदि वह संशोधन करने से इन्कार करता है तो इस संबंध में वह आदेश जारी करेगा जिसमें इन्कारी के कारणों का भी उल्लेख करेगा। ये प्रावधान आदेशात्मक है। अतः पंजीयक के लिए इनका पालन करना अनिवार्य हैं।

पंजीकृत संशोधन की प्रतिलिपि :

जब पंजीयक धारा 11 एवं 12 के अधीन संस्था की उपविधियों का संशोधन करें, तो वह धारा 14(3) के अन्तर्गत पंजीकृत संशोधन की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संस्था को जारी करेगा। ऐसी जारी प्रतिलिपि को इस आशय के लिए निर्णायक ''साक्ष्य'' माना गया है।

अनिवार्य संशोधन सम्बन्धी प्रावधान

12.1 इस अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी यदि पंजीयक को यह प्रतीत हो कि किसी संस्था की उपविधियों का संशोधन ऐसी संस्था के हित के लिए आवश्यक है या वांछनीय है तो वह विहित रीति में संस्था पर तामील किये जाने वाले लेखबद्ध आदेश द्वारा संस्था से अपेक्षा कर सकेगा कि वह संशोधन उतने समय के भीतर करें जितना ऐसे आदेश में उल्लेखित किया जाय।

12.2 यदि वह सोसायटी, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस सोसायटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी शीर्ष/संघीय सोसायटी की जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राय मांगने के पश्चात् ऐसा संशोधन रजिस्टर कर सकेगा ओर उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसायटी को जारी कर सकेगा।

अनिवार्य संशोधन सम्बन्धी प्रावधानों की प्रमुख बातें :–

1. इस धारा के अंतर्गत पंजीयक संशोधन सम्बन्धी निर्देश तब ही दे सकता है जबकि उसे ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा संशोधन सम्बन्धित संस्था के हित के लिए आवश्यक या वांछनीय है।
2. आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होने पर सर्वप्रथम पंजीयक सम्बन्धित संस्था को आदेश द्वारा अपेक्षित संशोधन करने हेतु निर्देशित करेगा। आदेश धारा 86 के अनुसार तामली किया जायेगा। आदेश अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसमें वह अवधि भी दर्शायी जावेगी जिसके भीतर संस्था को अपनी उपविधियों में संशोधन करना है। ऐसी अवधी उचित होना चाहिए। यदि संस्था पंजीयक के आदेश के पालन में संशोधन करना चाहती है तो वह धारा 11 के अनुसार ही करेगी।
3. यदि पंजीयक द्वारा आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर संस्था अपनी उपविधियों में संशोधन न करे तो अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व उसके लिए वह अनिवार्य है कि वह संस्था को इस सम्बन्ध में अपनी आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का मौका दे। यदि पंजीयक आपत्तियां प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं करता और यदि आपत्तियां प्रस्तुत की गई है, लेकिन उन पर ठीक से विचार किये बिना ही आदेश पारित कर देता है,तो ऐसी संशोधन सम्बन्धी आदेश अवैधानिक होगा।
4. यदि कोई आपत्तियां प्रस्तुत की गई है और उन पर पंजीयक ने विचार कर लिया है तो यह ऐसा करने के बाद संशोधन पंजीकृत कर सकेगा। इस संबंध में यह प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित संस्था को जारी कर सकेगा ओर इसके बाद संशोधन सम्बन्धित संस्था का अभिन्न अंग बन जायेगा।
5. इसके अतिरिक्त पंजीयक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शीर्ष/संघीय सोसायटी की राय मांगे, लेकिन उसकी राय पंजीयक पर बंधनकारी नही होगी।

अपील इस धारा के अंतर्गत पंजीयक द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध धारा 77 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

(पृष्ठ 2 का शेष)

(प्रारूप – 02)

म.प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 की धारा – 58 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं संपरीक्षा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को आवंटित करने हेतु प्रयोक्तव्य

वचन पत्र

मैं/हम(फर्म का नाम एवं पता) किसी सहकारी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा के लिये प्राधिकृत करने की स्थिति में एतद् द्वारा घोषणा करते हैं/वचन देते हैं कि :–

(1) म.प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 (क्रमांक–17, सन्, 1961) एवं उसके अधीन विरचित सहकारी सोसाइटीज, नियम, 1962, संबंधित संस्था के उपनियम एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा परिपत्रीय व्यवस्था/प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) किसी सहकारी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु आवश्यक गोपनीयता व्यवहरित की जाकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(प्रतिनिधि का नाम एवं मुद्रा)
फर्म का नाम .....
फर्म का एफ.आर.एन. क्रमांक.....

टीपः–

1. फर्म के किसी साझेदार को फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने का प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाय।
2. प्रत्येक सनदीलेखापाल/सनदीलेखापाल फर्म द्वारा संपरीक्षा हेतु आवंटित संस्था में संचालक/आन्तरिक अंकेक्षण/सतत अंकेक्षण/सलाहकार/ स्थाई एवं संविदा के रूप में कार्यरत न होने तथा संस्था से राशि रू. 10,000/– या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ता (सनदीलेखापाल/प्रोफेशनल स्टाफ) न होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
3. आवंटित संस्था सहित वर्ष में फर्म को कुल आवंटित संस्थाओं की संख्या पंजीयक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के तहत होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय।
4. सहकारी बैंकों के अंकेक्षण आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को गत 03 वर्षों के वाणिज्यिक बैंक के वैधानिक अंकेक्षण के अनुभव तथा डीसा/सीटा प्रमाण पत्र के अभिलेख भी अनिवार्यतः इस प्रारूप के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. 01.04.2013 के पश्चात फर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या फर्म में हुए परिवर्तन की जानकारी पत्र क्रमांक ..... से रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न हैं।

(प्रारूप–3)

(म.प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 की धारा – 58 एवं उसके साथ विरचित नियम 1962 के नियम क्र.50 (4) (क) के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा हेतु विभागीय अंकेक्षक की नियुक्ति आमसभा द्वारा किये जाने पर विभाग द्वारा अंकेक्षक को अधिकृत किये जाने के लिये प्रयोक्तव्य)

कार्यालय .....आयुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाएं, ...

क्रमांक/अंके./..... ..... दिनांक.....

आदेश

..... सहकारी संस्था मर्या., ... जो कि श्रेणी ..... में वर्गीकृत है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1)(क) एवं धारा 49(1)(ज) के तहत के पालन में संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक ..... में पारित संकल्प क्र. . ..... से संस्था की वर्ष ..... की वैधानिक संपरीक्षा हेतु विभागीय अंकेक्षक को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः संस्था की आमसभा द्वारा पारित निर्णय अनुसार संस्था की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष ..... हेतु श्री ..... (पदनाम सहित) को अधिकृत किया जाता है।

टीप – 1/ जहां आवश्यक हो दल सहित प्रभारी एवं सहायक अंकक्षको को अधिकृत किया जावे।

2/ आवंटन आदेश में संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि एवं अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तों का पूर्ववत जारी आदेशों के अनुरूप उल्लेख किया जावे।

.....
आयुक्त, सहकारिता
एवं सहकारी संस्थाएं, म.प्र.

क्रमांक/अंके./..... ..... दिनांक.....

प्रतिलिपि :–

अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ..... सहकारी संस्था मर्या., ... की ओर संस्था की वार्षिक आमसभा द्वारा पारित संकल्प के संबंध में सूचनार्थ। कृपया अंकेक्षक को आवश्यक अभिलेख वित्तीय पत्रक उपलबध कराना सुनिश्चित करे।

.....
आयुक्त, सहकारिता
एवं सहकारी संस्थाएं, म.प्र.

(प्रारूप– 04)

(सनदी लेखापाल फर्म को वैधानिक अंकेक्षण आवंटन करने हेतु आदेश का प्रारूप)

क्र./अंकेक्षण/..... दिनांक.....

आदेश

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1)(ख) एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 50 के तहत .....संस्था की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक ..... में पारित संकल्प क्रमांक ..... एवं सनदीलेखापाल फर्म के सहमति/वचन पत्र दिनांक ..... के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की पेनल के श्रेणी ..... में सूचीबद्ध क्रमांक ..... . (सनदीलेखापाल फर्म का नाम) एफ.आर.एन क्रमांक ..... को वर्ष ..... की वैधानिक संपरीक्षा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है :–

1. म.प्र. सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 (क्रमांक–17, सन्, 1961) एवं उसके अधीन विरचित सहकारी सोसाइटीज, नियम, 1962, संस्था के उपनियम एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. द्वारा निर्दिष्ट परिपत्रीय व्यवस्था/प्रावधानों के अनुपालन में संपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा।
2. संपरीक्षा प्रतिवेदन आदर्श प्रारूप (यदि विभाग द्वारा प्रसारित किया गया हो तो) में प्रतिवेदन 31 जुलाई तक अनिवार्यतः – न्यूनतम 05 प्रतियों में उपलब्ध कराया जावे।
3. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम क्रमांक 50(15) के पालन में संपरीक्षा प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. नियम 50(4)(ख) के तहत संपरीक्षा के दौरान कोई आर्थिक नियमितता पाये जाने अथवा अधिनियम/नियम/उप विधि के उपबंधों अथवा रजिस्ट्रार के वैधानिक आदेश के प्रतिकूल कोई भुगतान किया जाने की दशा में संपरीक्षक द्वारा संस्था को हुए नुकसान के संबंध में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. सतत अंकेक्षकों के द्वारा जारी की गई प्रारूप कंडिकाओं का संस्था द्वारा किये गये निराकरण का सत्यापन वैधानिक संपरीक्षक द्वारा किया जाकर वस्तुस्थिति पर अभिमत टिप्पणी दी जानी आवश्यक है।
6. संपरीक्षा प्रतिवेदन धारा 58 की उपधारा (1)(ड.) के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जावेगा तथा यदि संपरीक्षा प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार हेतु वापिस किया जाता है तो संपरीक्षक को ऐसे आदेश के पालन में संशोधित संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
7. संपरीक्षा प्रतिवेदन के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्गमन पत्र एवं संपरीक्षा शुल्क की (लेव्ही मेमो) आदेश में उल्लेखित राशि का भुगतान संपरीक्षक को किया जा सकेगा

प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सहकारी संस्था मर्या., ...

क्र./अंकेक्षण/..... दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

1/ ..... (सनदीलेखापाल फर्म) एफ.आर.एन. क्रमांक .....पता .... कृपया समयावधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन की सुनिश्चिती प्रस्तुत करें।

2/ सहायक/उप/संयुक्त आयुक्त सहकारिता,म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। (सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म से प्राप्त प्रारूप–2 को अनिवार्यतः संलग्न किया जावे)

3/ नाबार्ड/आर.बी.आई./संबंधित प्रशासकीय विभाग (यथा संबंधित होने पर) की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
.....
सहकारी संस्था मर्या., ...

(प्रारूप – 05)

वैधानिक संपरीक्षा का संस्थागत मूल्यांकन

1. संस्था का नाम :
2. संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म :
3. अंकेक्षण का वर्ष :
4. अंकेक्षण कार्य की अवधि दिनांक ..... से ..... तक
5. संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के पार्टनर/एसोसियेट सदस्य/प्रोफेशनल स्टाफ द्वारा किये गये कार्य का विवरण।

क्र.	सनदी लेखापाल फर्म–पार्टनर/एसोसियेट सदस्य/प्रोफेशनल स्टाफ का नाम अथवा विभागीय अंकेक्षक का नाम एवं पद	भेंट का विवरण (**Date of Visit**)				कुल कार्य दिवस जिनमें अंकेक्षण कार्य किया गया
		मुख्यालय		शाखाएं		
		से(**From**)	तक (**To**)	से(**From**)	तक (**To**)	

6. अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में संस्था का अभिमत (सारगर्भित टीप दी जावे)
7. ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जिन पर संपरीक्षा प्रतिवेदन में टीप नहीं दी गई है।

प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सहकारी संस्था मर्या.,

सदस्य उनके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार, सदस्यता से निष्कासन

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व एवं विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान म.प्र.सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत धारा–19 से लगाकर धारा–30 तक एवं म.प्र. सहकारी समितियां नियम,1962 के अन्तर्गत नियम–13 से लगाकर नियम–21 तक किये गये है।

सदस्य का आशय

सदस्य की परिभाषा विधान की धारा–2 की उपधारा (आर) में दी गई है। इसके अनुसार सदस्य का आशय उस व्यक्ति से है, जिसने समिति के पंजीयन के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या वह व्यक्ति जिसे विधान,नियम एवं उपविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान की गई हो। इसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है,यदि उसने समिति की अंशपूॅजी में योगदान दिया हो तो ।

हर कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिन व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है, उनकी सूची विधान की धारा 19 की उपधारा (1) में दी गई है। प्रावधानों के अनुसार केवल निम्न व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है :–

(ए) कोई व्यक्ति, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अंतर्गत संविदा करने में सक्षम हो।

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जानी चाहिए,जो संविदा करने की योग्यता रखते हो। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने योग्य है जो –

(1) संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क उम्र का है। भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति वयस्क है, जिसने आयु के 18 वर्ष पूरे कर लिये हों।

(2) स्वस्थ्य मस्तिष्क का है अर्थात् पागल एवं विकृत मस्तिष्क का नहीं है। कोई व्यक्ति पागल है, इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति है, जिसने पागल होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सहकारी समिति को चाहिए कि वह किसी व्यक्ति के पागल होने की शंका होने पर प्राधिकत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का माना गया है।

(3) किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए आयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इस संबंध में विभिन्न विधानों में प्रावधान है। विदेशी शत्रु,विदेशी सम्राट, विदेशी राजदूत किसी भी

प्रकार का अनुबंध करने में असमर्थ होंते हैं। कैदी या अपराधी एवं दिवालिया पर भी अनुबंध करने के संबंध में प्रतिबन्ध है। सहकारी समिति अधिनियम की धारा–19(ए) के अन्तर्गत भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

(बी) कोई अन्य समिति समिति का आशय है सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत या पंजीकृत मानी गई कोई समिति ।

(सी) कोई लोक न्यास जो म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 के अन्तर्गत पंजीकृत हों।

(डी) कोई फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगम निकाय, जिसका कोई भागीदार या संचालक अवयस्क न हो और जो तत्समय प्रवर्तित किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत, स्थापित या गठित हों।

(ई) कोई समिति जो म.प्र. समिति पंजीयन अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत हो और जो इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा,राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों।

धारा 19(1) की उपधारा (ए) पर प्रतिबन्ध

निम्न मामलों में उपधारा(ए) के प्रावधान लागू नहीं है :–

(1) यदि कोई व्यक्ति ऐसी समिति का सदस्य बनना चाहता है , जो पूर्णतया विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई है तो अवयस्क होने पर भी कोई व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है । ऐसी स्थिति में धारा–19 की उपधारा (3) के अनुसार विद्यार्थी के अभिभावक या संविदा करने में सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारुप–ई में वचन पत्र(अन्डर टेकिंग) देना अनिवार्य है। ऐसा वचन पत्र सदस्यता के आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। यह वचन पत्र जिम्मेदारी वहन करने के संबंध में होता है।

(2) अवयस्क, जो कोर्ट द्वारा नियुक्त अभिभावक के माध्यम से कार्य करें यहां अभिभावक का तात्पर्य सामान्य अभिभावक से नहीं है बल्कि उस अभिभावक से है, जिसकी नियुक्ति कोर्ट द्वारा की गई हों यदि अवयस्क को कोई समिति सदस्य बनाती है, तो वह अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं दायित्वों का उपयोग कोर्ट द्वारा नियुक्त अभिभावक के माध्यम से करेगा। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान समिति की उप–विधियों में किये जाते है ।

धारा 19(1) के अन्तर्गत व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त सभी व्यक्तियों को सहकारी समिति अपना सदस्य बनाये ही। समिति, यदि उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सदस्य बनाती है, तो ऐसी सदस्यता अवैधानिक होगी । अतः यह धारा सदस्यता संबंधी अधिकार नहीं देती है। समिति अपनी उपविधियों में इनमें से जिनको चाहें उन्हें सदस्य बनाने का प्रावधान कर सकती है।

सार्वभौमिक सदस्यता

सार्वभौमिक सदस्यता से तात्पर्य ऐसी सदस्यता से है, जिसके लागू होने पर सम्यक योग्यता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से ही समिति की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। यह एक नई धारणा है, जिसका प्रावधान विधान की धारा–19 की उपधारा(2–ए) में किया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य सहकारी समिति में अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने का मौका देना है। इसके साथ ही सहकारी प्रबन्ध के नीहित स्वार्थ पर प्रतिबन्ध लगाना है, जो केवल उन्हीं लोगों का सदस्यता प्रदान करते है, जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। यह प्रावधान केवल संसाधन समिति की सदस्यता पर ही लागू है, अन्य प्रकार की समितियों पर नहीं ।

संसाधन समिति से तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति (धारा–2) (वाय) से है– ''जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए साख वस्तुएं या सेवायें प्राप्त करना है। इसमें सेवा समिति एवं प्राथमिक साख समिति भी सम्मिलित है।''इस परिभाषा के अनुसार प्राथमिक कृषि साख समितियां, शहरीय साख समितियां, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक, म.प्र.राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, नागरिक सहकारी बैंक आदि संसाधन समितियां है।

पंजीयक द्वारा व्यक्ति को सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करना

सार्वभोमिक सदस्यता के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई व्यक्ति संसाधन समिति का सदस्य बन गया है, जो सदस्यता के लिए अपात्र है, तो पंजीयक उसे अपात्र घोषित कर सकता है। इस आशय का प्रावधान विधान की धारा–19(ए) के परन्तुक में किया है। इस प्रावधान के अनुसार पंजीयक स्वप्रेरणा से कभी भी सदस्य बनने के लिए प्राप्त आवेदन की दिनांक से 15 दिन के अन्दर संबंधित संसाधन समिति या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी संसाधन समिति की सदस्यता के लिए अपात्र घोषित कर सकता है। संसाधन समिति या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर पंजीयक द्वारा अपात्र होने संबंधी घोषणा आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर की जावेगी।

अपात्र घोषित करने की कार्यवाही के लिए पंजीयक पर यह बन्धनकारी है कि वह संसाधन समिति या संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर प्रदान करें। घोषणा संबंधी आदेश में उन कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिनके आधार पर अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर घोषणा अवैध होगीं। ऐसी घोषणा व्यथित व्यक्ति धारा 77 के अन्तर्गत अपील कर न्याय प्राप्त कर सकता है।

सदस्यता अस्वीकृत करने के संबंध में समिति के कर्तव्य

1. कोई भी समिति सहकारी विधान एवं समिति की उपविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत सदस्यता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारण के सदस्यता देने से इन्कार नहीं करेगी। धारा–19 (5)
2. यदि समिति किसी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करने से इन्कार करती है, तो उस पर बन्धनकारी है कि वह इन्कार संबंधी निर्णय के दिनांक से 30 दिन के भीतर सदस्यता प्रदान करने की इन्कारी की सूचना संबंधित व्यक्ति को भेज दें। सूचना अभिस्वीकृति सहित पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जावेगी ।

अपील

जो व्यक्ति विधान की धारा 19(4) एवं (5) के अन्तर्गत व्यथित हो अर्थात समिति ने सदस्यता देने की इन्कारी की सूचना निर्णय दिनांक से 30 दिन के भीतर न दी हो, या बिना पर्याप्त कारण के सदस्यता देने से इन्कार कर दिया है, तो वह इन्कारी तिथि से 90 दिन के अन्दर धारा–19(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयक (अधिकृत अधिकारी) को अपील कर सकता है। पृथक प्रावधान होने से अपील धारा–77 के अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी। अपील में दिये गये निर्णय की सूचना निर्णय दिनांक से 30 दिन के भीतर संबंधित पक्षकारों को दी जावेगी । सूचना अभिस्वीकृति सहित पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जावेगी।

अपील किस अधिकारी को

धारा 77–(4) के अनुसार प्राथमिक समिति के प्रकरण में उप/सहायक पंजीयक को राजस्व विभाग में कार्यरत जिला स्तरीय एवं संघीय संस्था के मामले में संयुक्त पंजीयक को और अन्यों के मामले में अतिरिक्त पंजीयक को अपील की जा सकेगी।

अपील में पंजीयक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा। अर्थात ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकेगी, लेकिन धारा–80 के अन्तर्गत पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

सदस्य बनाने की अयोग्यताएं

यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत संविदा करने हेतु सक्षम हो। इसके अतिरिक्त धारा 19(ए) के अन्तर्गत उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से किसी एक के भी उपस्थित होने पर आयोग्यताएं निम्न लिखित है

(ए) यदि वह दिवालिया न्याय निर्णति किये जाने के लिए आवेदक हो या अनुन्योचित दिवालियों हो अथवा

(बी) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अर्न्वेलित हो दण्डित किया गया हो और दण्डावेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो। अथवा

वह व्यक्ति जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दण्डाविष्ट किया गया हो और

(शेष पृष्ठ 6 पर)

(पृष्ठ 5 का शेष)

सदस्य उनके अधिकार, दायित्व .....

दण्डादेश के अवसान होने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि न बीत गई हो।

(सी) यदि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य, जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता हो, ऐसा कारोबार करता हो, जो कि समिति द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरुप हो।

नोट–उपधारा (ब) का प्रबन्धन ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं है, जो ऐसी समिति का सदस्य बनाना चाहता हो, जो कि पूर्णतया विमुक्त जातियों के उद्धार के लिए बनाई गई हो। विमुक्त जातियों से तात्पर्य ऐसी जातियों से है, जिन्हें राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु घोषित करें।

धारा 19(ए) की उपधारा–2 में यह भी प्रतिबन्ध है कि असीमित दायित्व वाली समिति की सदस्यता किसी व्यक्ति का प्राप्त नहीं होगी, यदि वह ऐसी किसी अन्य समिति का सदस्य हो और यदि त्याग पत्र दे दिया तो समाप्ति को दो वर्ष समाप्त नहीं हो गये हों। यह प्रावधान इसलिए है, क्योंकि असीमित दायित्व का निर्वहन किसी एक समिति के पक्ष में ही किया जा सकता है।

– यदि कोई व्यक्ति धारा 48–ए के अन्तर्गत अयोग्य हो।

– यदि उसे सरकारी अथवा सहकारी संस्था की सेवा से बर्खास्त किया गया हो।

सदस्यों का निष्कासन

विधान की धारा 19(सी) के अन्तर्गत सदस्य को निष्कासित करने संबंधी प्रावधान है। निष्कासन जिन आधारों पर किया जा सकता है, वे निम्नानुसार है :–

(ए) यदि वह कोई ऐसा कार्य करे, जिससे समिति की साख को क्षति पहुॅचने की संभावना हो, या ऐसा कार्य करे जो उसे कुख्याति देता हों। बदनाम का कार्य इस श्रेणी में आता है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि वह ऐसा कार्य जानबूझकर करे। अन्यथा उसे इस आधार पर निष्कासित करना वैधानिक होगा ।

(बी) यदि वह झूठे कथनों द्वारा जानबूझकर सोसाइटी को धोखा देता है। इसमें तीन बाते आवश्यक हैं। (1) झूठा कथन हो (2) ऐसा कथन जानबूझकर दिया गया हो एवं (3) ऐसे कथन का उद्देश्य समिति को धोखा देना है।

(सी) यदि वह कोई ऐसा व्यवहार करता है, जो समिति द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रतिव्दन्दिता में आता हो या उस व्यवसाय के समिति द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रतिव्दन्दिता में आने की सम्भावना हो। यदि समिति रासायनिक खाद का व्यवसाय करती है और सदस्य भी इस व्यवसाय को करना प्रांरभ कर दे तो यह व्यवसाय प्रतिव्दन्दिता वाला व्यवसाय माना जावेगा।

(डी) यदि वह अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में लगातार व्यतिक्रम करता हो, अथवा उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के पालन करने में त्रुटि करता हों। इसमें निम्न बातों का होना आवश्यक है। (1) धन देय हो (2) भुगतान में व्यतिक्रम (डिफाल्ट) करता हो एवं (3) ऐसा व्यतिक्रम लगातार करता हों। लगातार से आशय बारम्बारता से है। जब कोई सदस्य उपविधियों के उपबन्धों का पालन न करें, तब भी उसे निष्कासित किया जा सकता है।

उपरोक्त में से किसी एक या एक से अधिक आधारों के उपलब्ध होने पर संबंधित सदस्य को सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। विधान के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही करने के लिए संस्था की प्रबन्ध समिति सक्षम है ।

निष्कासन की प्रक्रिया

1. निष्कासन संबंधी प्रस्ताव की सात दिन पूर्व सूचना देना–सूचना में अरोपों/ निष्कासन के आधार,/ आधारों का उल्लेख करना आवश्यक है। अन्यथा सूचना अवैधानिक होगी।
2. सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दी जावेगी ।
3. किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि केवल निष्कासन पर विचार करने के लिए प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जावेगी ।
4. उसे अपने मामले के संबंध में प्रबन्ध समिति की सक्षम अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जावेगा ।प्रबन्ध समिति उसके अभ्यावेदन पर गम्भीरता से विचार करेगी । विचार करने के उपरान्त निर्णय लेगी। निष्कासन संबंधी प्रस्ताव उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित किया जावेगा ।

सदस्य के निष्कासन के साथ संस्था उसके द्वारा धारित अंशों को भी जब्त कर सकती है। जब्ती अनिवार्य नहीं है । यह विवेक पर आधारित है। विवेक न्यायिक रीति से प्रयोग किया जाना चाहिए।

निष्कासन से व्यथित व्यक्ति के लिए उपचार

यदि प्रबंध समिति प्रस्ताव पारित कर धारा 19–सी की उपधारा(1) के अन्तर्गत सदस्य को निष्कासित करती है, तो वह कार्य समिति के प्रबन्ध और व्यवसाय से संबंधित है। अतः प्रबन्ध समिति के पारित प्रस्ताव के औचित्य एवं वैधता को धारा–64 के अधीन विवाद के रूप में चुनौती दी जा सकती है।

सदस्य बन जाने के पश्चात् सदस्यता के लिए योग्याताओं मे यदि परिवर्तन कर दिया हो और परिवर्तित योग्यताओं के आधार पर सदस्य में निर्योग्यता आ जाने का दोष लगाया जा रहा हो, और उसी आधार पर उसे निष्कासित कर लिया गया हो, तो इस संबंध में प्रेमनारायण वि.शिल्पकार सहकारी मजदूर संघ, लि0 के प्रकरण–1971 रा.नि.521 में माननीय हाईकोर्ट ने यह ठहराया है कि ऐसा निष्कासन गलत है। योग्यताओं मे परिवर्तन करके किसी सदस्य को निर्योग्य कहकर नहीं ठहराया जा सकता है।

पंजीयक द्वारा सदस्यता से निष्कासन

निधान की धारा 19–सी की उपधारा (2) के अधीन पंजीयक को भी सदस्यता से निष्कासन की शक्ति प्राप्त है। ऐसा वह तब ही कर सकता है जबकि वह किसी सदस्य का निष्कासन संस्था के हित में आवश्यक या वांछनीय समझता हो। निष्कासन आदेश जारी करने के पूर्व उस पर यह बंधनकारी है कि वह संबंधित को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओं नोटिस दें। नोटिस में स्पष्टीकरण देने की अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए और प्रस्तावित निष्कासन आदेश के आधार पर लिखे जाना चाहिए। यदि स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उस पर विचार करने के पश्चात् सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है।

धारा 19–सी की उपधारा (2) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध धारा 77 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

निष्कासन आदेश का प्रभाव

यदि धारा 19–सी की उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति या उपधारा (2) के अधीन पंजीयक की शक्ति प्राप्त प्राधिकारी का आदेश स्थिर बना रहता है, तो उसका प्रभाव यह होगा कि निष्कासित सदस्य निष्कासन दिनांक से पांच वर्ष तक समिति में पुनः प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा । ऐसी अपात्रता केवल संबंधित समिति के संबंध में ही लागू होगी । अन्य समिति उसे सदस्य बना सकती है।

नाममात्र सदस्य :

विधान की धारा–20 के अन्तर्गत नाममात्र सदस्य बनाये जाने का प्रावधान है। नाममात्र सदस्य पर धारा–19 के अंतर्गत सदस्यता संबंधी प्रावधान लागू नहीं है। नाममात्र सदस्य की परिभाषा विधान की धारा–2(टी) के अन्तर्गत दी गई है, जिसके अनुसार–''नाममात्र सदस्य से तात्पर्य धारा–20 के अधीन संस्था की सदस्यता में सम्मिलित व्यक्ति से है''। नाममात्र सदस्य न तो संस्था के प्रबन्ध में भाग ले सकता है और न ही उसे संस्था के लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने की पात्रता है। संस्था के समापन की दशा में वह किसी अंशदायी दायित्व के अधीन भी नहीं होगा।

सदस्यता के किसी अधिकार के लिए देयधन का भुगतान करना आवश्यक

धारा–21 के अन्तर्गत प्रावधान है कि कोई व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने :

1. सदस्यता के संबंध में ऐसा भुगतान न दिया हो जैसा कि विहित किया जाय, या

2. उसने संस्था मे ऐसे हित में न प्राप्त कर लिया हो, जैसा कि विहित किया जाय, या ऐसी संस्था की उपविधियों में उल्लेखित किया जाय।

सदस्यों के मत

धारा–22(1) के अनुसार सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने के अधिकार है। लेकिन सहकारी समिति संघीय समिति है, तो सदस्य सहकारी समितियों को मतों की कुल संख्या के चार पंचमाश(4/5) से कम मत प्राप्त नहीं होंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि प्रबन्ध में वैयक्तिक सदस्य हावी न हो और सहकारी समितियों को उनकी सदस्यता के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो।

संघीय समितियों के मामले में निम्न को वैयक्तिक सदस्य माना गया है :–

1. लोक न्यास (2) फर्म (3) कम्पनी (4) निगम निकाय (5) मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई समिति और (6) राज्य सरकार

इनमें सहकारी समिति सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक सहकारी समिति अपने मत का प्रयोग उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से करेगी। प्रत्येक प्रतिनिधि एवं वैयक्तिक सदस्यों के प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सभा में एक मत देने का अधिकार है।

प्रबन्ध समिति में प्रत्यायुक्तों का संख्या किसी भी समय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या एक–तिहाई(1/3) से अधिक नहीं हो सकता । अर्थात प्रबन्ध समिति में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के बहुमत का ध्यान रखा गया है।

संस्था की पुस्तकें देखने संबंधी सदस्यों का अधिकार

प्रत्येक सहकारी समिति का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह अपने पंजीकृत पते पर सभी उचित समयों पर अपने सदस्यों के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित की निःशुल्क व्यवस्था करेगी :–

1. सहकारी अधिनियम की प्रति
2. नियमों की प्रति
3. सहकारी समिति की उपविधियों की प्रति
4. सदस्यों का रजिस्टर
5. अंकेक्षित स्थिति विविरण, लाभ–हानि सहित पत्रक
6. साधारक सम्मेलनों की कार्यवाही

सहकारी समिति के सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अपने से संबंधित समस्त रजिस्टर,अभिलेख तथा लेखाओं से सम्बोधित पुस्तकों ओर अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है। संस्था का कर्तव्य है कि वे सदस्यों के निरीक्षण के लिए उन्हें कार्यालय में रखे । कोई सदस्य अन्य से संबंधित रजिस्टर,अभिलेख, लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों को नहीं देख सकता। शुल्क का प्रावधान उपविधियों में किया जाना चाहिए। प्रबन्ध समिति शुल्क सका निर्धारण नहीं कर सकती।

सदस्यों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर आवेदन करने पर, अभिलेखों, रजिस्टरों एवं अन्य दस्तावेजों, के उद्धारणों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है।

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी

09 मई, 2019 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 38.734 बीसीएम जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 24 प्रतिशत है। 02 मई, 2019 को समाप्त सप्ताह में जल संग्रह25 प्रतिशत के स्तर पर था। 09 मई, 2019 को समाप्त सप्ताह में यह संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 116 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 105 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति : —

उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 8.80 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 49 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 18 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 26 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 5. 87बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 31 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 33 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 31. 26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 4.74 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 15 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 21 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 24 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 11.95 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 28 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 26 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 25 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 7.38 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 14 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 13 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब,गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण समान स्तर पर है, उसमें ओडिशा, उत्तर प्रदेश और एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कम है उनमें राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं।

नरवाई जलाना हानिकारक

डॉ. देवकरण शर्मा

मार्च–अप्रैल में गेहूं की फसल काटने के बाद गेहूं काटने की मशीनों द्वारा छोड़ दिए गए भूसे व नरवाई को खेतों में ही जलाने की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यदि शीघ्र ही इसे सरकार, समाज, मीडिया और स्वयं किसानों द्वारा रोका नहीं गया तो कृषि, कृषक और राष्ट्रीय जान–माल, खेत–खलिहान, पेड़–पौधे, वृक्ष–भूमि की उर्वरा शक्ति, खेती की सहयोगी अर्थव्यवस्था, पशुधन, पर्यावरण सभी का महविनाश अवश्यंभावी है।

1. फसल कटने के बाद खेतों में खड़े और पड़े गेहूं के डंठल/नरवाई में आग लगाने से वह बहुमूल्य भूसा जलकर आग लगने से राख हो जाता है, जो पशुओं के लिए उपयोगी पोष्टिक आहार होता है। यदि नरवाई जलाने के बजाय समेटकर उसका भूसा बना लिया जाए, तो लाखों पशुओं को पोष्टिक आहार उपलब्ध हो सकता है।
2. नरवाई में आग से खेतों के जीव–जंतु तड़प–तड़प कर मर जाते हैं और महत्वपूर्ण जड़ी–बूटियां जलकर खाक हो जाती हैं। मासूम, बेजुबान, निर्दोष कीड़े मकौड़े, चीटियां, छिपकली, सांप, पतंगे, चिड़िया, तोते, गिलहरी, पक्षियों के अंडे, खरगोश, उद्बिलाव, लोमड़ी, नेवले आदि के जल जाने से भयंकर जीव हिंसा होती है।
3. गेहूं के डंठलों में लगी आग बेकाबू होकर दावानल बन जाती हैं। फिर इस पर किसान का बस नहीं चलता और नरवाई के अलावा खड़ी फसल, झोपड़िया, हरे–भरे पेड़, मेढ़ की घास, पशु, यहां तक कि मनुष्य तक जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन पूर्व ही होशंगाबाद जिले में नरवाई की आग एक गांव से कई गांवों में फैली और कई खेत, मकान, पशु, खड़ी फसलों के साथ दो लोग भी जलकर मर गए।
4. नरवाई जलाने से खेतों की मेढ़ झुलस जाती हैं। फिर वहां ठीक से घास या पेड़–पौधे नहीं उग पाते। फलतः जानवरों के चारे की कमी हो जाती है। साथ ही पेड़ जलने से जलाऊ लकड़ी व फलदार वृक्षों का अभाव गहराता चला जाता हैं। आम, नीम, पीपल, बबुल, खैर, जामुन, पलाश के पैड़–पौधे शिशु अवस्था में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। इस तरह बहुमूल्य वनस्पति औषधि नष्ट हो जाती है। निश्चित ही यह महान पर्यावरण संकट को जन्म देता है। भूमि का जलस्तर गिरना, वर्षा की कमी, भूमि बंजर होना आदि कुप्रभवों में नरवाई जलाने का भी बड़ा हाथ है।
5. वन, पर्यावरण व मौसम विभागों की रिपोर्टो के अनुसार वृक्षों की संख्या दिनोंदिन कम होने से धरती पर मरूस्थल बढ़ रहा है। नरवाई जलाने की आत्मघाती प्रवृत्ति इस प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ा रही है। इसमें किसान का सीधा नुकसान यह भी है कि नरवाई की आग खेत की मिट्टी को कड़क व कम उपजाऊ बना देती है। जिससे फसल कम उपजती है और फिर किसान रासायनिक खाद डालकर मिट्टी को और बर्बाद कर लेता है।
6. भारी मात्रा में प्रदूषण फैलना नरवाई जलाने का एक और दुष्प्रभाव है। एक साथ कई खेतों में आग से तापमान में भी वृद्धि होती है। जो हर दृष्टि से हानिकारक है।

अस्तु, नरवाई जलाना हर दृष्टि से हानिकारक है। सरकारी कानून के अनुसार भी यह एक कानून शक्ति, समाज की जागरूकता, राजनेताओं की आंदोलन शक्ति, पत्रकारों की खोजी प्रवृत्ति इस दिशा में न जाने क्यों सुसुप्त होकर लापरवाही की गुफा में उदासीनता की चादर ओढ़कर बेहोश पड़ी है। अब तो सभी दिशाओं और वर्गो से आवाज उठनी और उठानी चाहिए और इस आत्मघाती प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। इस दिशा में सबकों चेतना ही होगा।

सादर–नवदुनिया

जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने भारतीय सीईओ फोरम का आयोजन

दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के बारे में एक भारतीय सीईओ फोरम का आयोजन किया गया। सरकार की इस अग्रणी पहल का उद्योग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान करने और भारत की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संबंध में सहयोग के अवसरों के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए आयोजन किया गया।

व्यवसायों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में इस फोरम में कम कार्बन अर्थव्यवस्था के मौजूदा संक्रमण के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है। इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों के रूप में सशक्त संदेश दिया है।

इस फोरम में 23 सितंबर, 2019 को न्यूयार्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु शिखर सम्मेलन के बारे में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के विषयों को शामिल करते हुए अनेक सत्रों में उच्च स्तरीय चर्चाएं शामिल की गई हैं। इन सत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के बारे में निजी क्षेत्र की कार्रवाई पर व्यवसायों से विचार–विमर्श के साथ–साथ कम कार्बन गति के लिए भविष्य के दृष्टिकोणों के बारे में विचार–विमर्श किया।

सरकार की ओर से नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री सी.के. मिश्रा, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए. के. जैन, और इसी मंत्रालय के अपर सचिव श्री रवि एस प्रसाद ने विचार–विमर्श में भाग लिया। भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक प्रमुख सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों को पूरा करने के भारत को समर्थन देने के तरीकों को साझा करने के बारे में जानकारी दी। उद्योग के दिग्गजों के लिए ही उच्च–स्तरीय सीईओ सत्र का भी आयोजन किया गया। इस फोरम में भारतीय व्यापार जगत के 50 से अधिक जाने–माने दिग्गज एक मंच पर आए।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने कहा कि इस फोरम को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के बारे में औपचारिक रूप से सरकार और व्यवसाय जगत को एक कार्य प्रणाली का सृजन करने के लिए गठित किया गया है ताकि उद्योग और सरकार के रूख के बारे में कोई अलगाव न हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साझा आवाज उठाई जा सके। इस फोरम से सरकार को जलवायु परिवर्तन के बारे में भाषा आधारित वर्णन करने के बारे में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने इस पहल के द्वारा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को एक मंच पर लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को विभिन्न अनुभागों से समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। इसमें सरकार, निजी क्षेत्र और अनुसंधानकर्ताओं सहित सभी पक्षों को शामिल करना चाहिए। निजी क्षेत्र को तकनीकी रूप से तेज गति अपनानी चाहिए जो पश्चिमी देशों के बजाय भारत में अर्जित करना बहुत आसान है क्योंकि यहां पुरानी तकनीक अधिक व्याप्त है।

यह फोरम जलवायु परिवर्तन के बारे में उद्योग जगत के दिग्गजों के समक्ष सरकार का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट रूप से रखने में सफल रहा। पहली बार इसके बारे में उद्योग के विचारों को आमंत्रित किया गया तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही जलवायु पहलों के बारे में भी उनकी राय मांगी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इस तरह की बैठकें आयोजित करने और जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चाओं को आगे बढ़ाने में

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने का उत्तम अवसर : अध्यक्ष वित्त आयोग

दिल्ली। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह ने 8–9 मई के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ मुंबई में हुई दो दिवसीय बैठक की मीडिया को जानकारी दी।

श्री सिंह ने बैठक को काफी सफल बताते हुए कहा कि चर्चा के दौरान सतत वृहत आर्थिक स्थायित्व के लिए कुछ अहम विषयों पर गौर किए जाने के बारे में वित्त आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया। बैठक में राज्यों के रिण का विशेष रूप से रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषण किया गया। इस दौरान राज्य सरकारों के ऋण परिदृश्य तथा इस संबंध में उनके द्वारा वृहत आर्थिक प्रबंधन विधेयक के अनुपालन का वृहत आकलन किया गया। श्री सिंह ने बताया कि इस विषय पर बातचीत काफी लाभदायक रही।

श्री सिंह ने कहा कि आर्थिक प्रबंधन के लिहाज से कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा है जबकि कुछ का काफी खराब। इसलिए बैठक में उन प्रणालियों पर खास तौर से व्यापक चर्चा की गई जिसके जरिए बाजार की ताकतें उधारी दर तय करती हैं और जिनके आधार पर आगे वित्तीय प्रबंधन के मामले में राज्यों का आकलन किया जाता है। बैठक में ऋण की स्थिति के लिहाज से राज्यों को क्रेडिट रेटिंग तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) लक्ष्यों के लिए समायोजन करने के लिए प्रोत्साहित करने के संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई।

वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर आर्थिक अनुशासन के लिए मजबूत सांख्यिकी प्रणाली विकसित करने, डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने और उनमें एकरूपता लाने की संभावनाओं का भी पता लगाया गया।

चर्चा के दौरान कुछ रोचक विचार भी सामने आए। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के भविष्य पर हुई चर्चा इनसें से एक थी। श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ऐसी योजनाओं पर प्रति वर्ष साढ़े तीन लाख करोड़ रूपए खर्च करती है। ऐसी योजनाओं को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के पिछले कुछ समय से किए गए प्रयास काफी लाभदायक रहे हैं। चूंकि अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है इसलिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा भी नहीं होती ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि इन योजनाओं की समय अवधि वित्त आयोग के कार्यकाल के अनुरूप होगी। इस संबंध में कई सुझाव भी दिए गए।

केंद्र सरकार और अन्यों के दृष्टिकोण से सीएसएस को युक्तिपूर्ण और सरल बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में विचार किया जा रहा है।

वित्त आयोग को 30 ज्ञापन प्राप्त होते हैं जिनमें एक केंद्र सरकार से और 29 ज्ञापन राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त होते हैं। हम केंद्र सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह ज्ञापन जल्दी ही हमें मिल जाएगा जिसके बाद हम देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का उचित वितरण क्या हो सकता है।

आयोग 29 राज्यों में से 20 राज्यों का दौरा पहले ही कर चुका है। आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद बकाया राज्यों का दौरा शुरू किया जाएगा।

मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अध्यक्ष द्वारा दिए गए जवाबों के कुछ अंश यहां दिए गए हैं।

बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आरक्षित निधियों के मुद्दे पर वित्त आयोग और आरबीआई द्वारा गहराई से विचार–विमर्श नहीं किया जाना चाहिए। यह आरबीआई का अंदरुनी मामला है। हमारे सामने यह उल्लेख किया गया है कि बिमल जालान समिति अपने विचार–विमर्श के अंतिम चरण में है।

हम पीसीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार के एक ज्ञापन की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि पुनः पूंजीकरण की बाध्यता केंद्र सरकार के लिए होती और उनके द्वारा ही वित्त आयोग के ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अवधि के लिए संभावित व्यय प्रस्तुत किया जाएगा।

हम इस बारे में बड़ी नजदीकी से विचार कर रहे हैं कि किस तरह की असमान वृद्धि, ऋण और राजकोषीय घाटे की गति सामान्य सरकार के ऋण और वित्तीय घाटे के उस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक होगी जो एफआरबीएम लक्ष्यों के अनुरूप होने पर भी व्यावहारिकता की सीमा के भीतर हो।

हम ऋण के आंकड़े, सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं और आकस्मिक देनदारियों का पता लगाना चाहेंगे ताकि हमें ऋण परिदृश्य की एक सच्ची और समग्र तस्वीर प्राप्त हो सके। हमने इस संबंध में आरबीआई के साथ विचार–विमर्श किया है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयोग ध्यान देगा।

राजस्व विभाग द्वारा हमें दिए गए अनुमानों से प्रत्यक्ष करों में बहुत अच्छी उछाल आने का पता चलता है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह विशेष रूप से जीएसटी के संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।हम जीएसटी रुख में सुधारों के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर राजस्व विभाग के साथ बातचीत का एक अन्य दौर करने जा रहे हैं और इस बारे में विचार किया जाएगा कि स्थिति को बहुत बेहतर स्थाई और अनुमानित बनाने के लिए क्या–क्या बदलाव किए जा सकते हैं।

हम स्वयं सीएजी, आरबीआई और वित्त मंत्रालय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आर्थिक आंकड़ा के समन्वय की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं ताकि हम जनता के लिए विश्वसनीय डेटा के बारे में विचार–विमर्श के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाल सकें। हालांकि इसका डेटा की कार्यप्रणली और गणना से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन हम डेटा के विविध स्रोतों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए यह सामंजस्य स्वीकार्य और उचित विवेक की सीमा के भीतर होगा।

(पी.आई.बी.)

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।